न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :—श्रीराजेन्द्र कुमार RAS

दावा अन्तर्गत धारा 88, 131, 136 आर.टी.एक्ट.

अनुवान प्रताप आदि **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

वाद पत्र संख्या 155 वर्ष 2025

निर्णय दिनांकः— 16/09/2025

1. प्रताप पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार निवासी भाड़ग तहसील तारानगर जिला चूरू
2. भंवरलाल पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार निवासी भाड़ग तहसील तारानगर जिला चूरू
3. सीताराम पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार निवासी भाड़ग तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादीगण

4. पदमाराम पुत्र हरचन्द जाति कुम्हार निवासी भाड़ग तहसील तारानगर जिला चूरू।

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती हस्ब दफा 88, 131, 136 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

1. **श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता वास्ते वादीगण**
2. **तहसीलदार तारानगर वास्ते पैरोकार राज**
3. **श्री नरेन्द्र बागोरिया वास्ते गौणप्रतिवादी सं. 04**

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

—::<u>निर्णय</u>::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि रोही ग्राम भाड़ंग तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित कृषिभूमि खं. नं. 1783/384 तादादी 2.4879 हैक्टेयर, खं. नं. 1784/629 तादादी 0.2719 हैक्टेयर, खं. नं. 1789/969 तादादी 0.6449 हैक्टेयर, खं. नं. 1792/429 तादादी 0.4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1795/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं. नं. 1799/638 तादादी 0. 3699 हैक्टेयर कुल तादादी 4.4922 हैक्टेयर जिसका वादी सं. 1 खातेदारी काश्तकार है। कृषिभूमि खं. नं. 1782/384 तादादी 2.4879 हैक्टेयर, खं. नं. 1786/629 तादादी 0.2719 हैक्टेयर, खं. नं. 1788/969 तादादी 0.6449 हैक्टेयर, खं. नं. 1793/429 तादादी 0.4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1796/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं. नं. 1800/638 तादादी 0.3698 हैक्टेयर कुल तादादी 4.4921 हैक्टेयर जिसका वादी सं. 2 खातेदारी काश्तकार है, कृषिभूमि खं. नं. 1781/384 तादादी 2.3931 हैक्टेयर, खं. नं. 1787/629 तादादी 0.2719 हैक्टेयर, खं. नं. 1790/969 तादादी 0. 3920 हैक्टेयर, खं. नं. 1794/429 तादादी 0.9737 हैक्टेयर, खं. नं. 1797/436 तादादी 0.4615 हैक्टेयर

Jayendra

कुल तादादी 4.4922 हैक्टेयर जिसका वादी सं. 3 खातेदारी काश्तकार है तथा कृषिभूमि खं. नं. 1780/384 तादादी 2.5827 हैक्टेयर, खं. नं. 1785/629 तादादी 0.2718 हैक्टेयर, खं. नं. 1791/969 तादादी 0.8978 हैक्टेयर, खं. नं. 1798/638 तादादी 0.7398 हैक्टेयर कुल तादादी 4.4921 हैक्टेयर जिसका गौणप्रतिवादी खातेदारी काश्तकार है। उपरोक्त खसराजात की कृषिभूमि में से वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खं. नं. 1792/429 तादादी 0.4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1795/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं. नं. 1793/429 तादादी 0. 4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1796/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं. नं. 1794/429 तादादी 0.9737 हैक्टेयर, खं. नं. 1797/436 तादादी 0.4615 हैक्टेयर वाके रोही मौजा भाडंग तहसील तारानगर जिला चूरू ही विवादीत है। सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी, नजरिया नक्शा व अनेक्चर 'क' इत्यादि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। वादीगण एवं गौणप्रतिवादी के नाम पुरानी खातेदारी खेत खं. नं. 384 तादादी 9.9516 हैक्टेयर, खं. नं. 429 तादादी 1. 9473 हैक्टेयर, खं. नं. 436 तादादी 0.9231 हैक्टेयर, खं. नं. 629/335 तादादी 1.0875 हैक्टेयर, खं. नं. 638/468 तादादी 1. 4795 हैक्टेयर, खं. नं. 969/367 तादादी 2.5796 हैक्टेयर कुल तादादी 17.9686 हैक्टेयर वाके रोही मौजा भाडंग तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित था। वादीगण व गौणप्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 03.11.2023 को खाता विभाजन हेतु आवेदन किया जिसके बाद स्वीकृत नामांतरण क्रमांक 2082 14/02/2024 को खाता विभाजन के बाद रोही ग्राम भाड़ंग तहसील तारानगर जिला चूरू में वादी संख्या 1 की कृषिभूमि खं. नं. 1783/384 तादादी 2.4879 हैक्टेयर, खं. नं. 1784/629 तादादी 0.2719 हैक्टेयर, खं. नं. 1789/969 तादादी 0.6449 हैक्टेयर, खं. नं. 1792/429 तादादी 0.4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1795/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं. नं. 1799/638 तादादी 0.3699 हैक्टेयर कुल तादादी 4.4922 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के खेत कृषिभूमि खं. नं. 1782/384 तादादी 2.4879 हैक्टेयर, खं. नं. 1786/629 तादादी 0.2719 हैक्टेयर, खं. नं. 1788/969 तादादी 0.6449 हैक्टेयर, खं. नं. 1793/429 तादादी 0.4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1796/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं. नं. 1800/638 तादादी 0. 3698 हैक्टेयर कुल तादादी 4.4921 हैक्टेयर, वादी संख्या 3 के खेत कृषिभूमि खं. नं. 1781/384 तादादी 2.3931 हैक्टेयर, खं. नं. 1787/629 तादादी 0.2719 हैक्टेयर, खं. नं. 1790/969 तादादी 0.3920 हैक्टेयर, खं. नं. 1794/429 तादादी 0.9737 हैक्टेयर, खं. नं. 1797/436 तादादी 0.4615 हैक्टेयर कुल तादादी 4.4922 हैक्टेयर तथा गौणप्रतिवादी का खेत कृषिभूमि खं. नं. 1780/384 तादादी 2.5827 हैक्टेयर, खं. नं. 1785/629 तादादी 0.2718 हैक्टेयर, खं. नं. 1791/969 तादादी 0.8978 हैक्टेयर खं. नं. 1798/638 तादादी 0.7398 हैक्टेयर कुल तादादी 4.4921 हैक्टेयर बने है। वादीगण की विवादीत कृषिभूमि खं. नं. 1792/429, खं. नं. 1795/436, खं नं. 1793/429, खं. नं. 1796/436, खं. नं. 1794/429, खं. नं. 1797/436 वाके रोही मौजा भाडंग तहसील तारानगर जिला चूरू जिसे वादीगण के वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार नजरी नक्शा में न दर्शा कर गलत दर्शाया गया है। खाता विभाजन के समय राजस्व कर्मचारीयों की गलती व भूल से खं. नं. 429 तादादी 1.9473 हैक्टेयर में वादी सं. 1 का हिस्सा 0.2074 हैक्टेयर के स्थान पर 0.4868 हैक्टेयर, वादी सं. 2 का हिस्सा 0.4129 हैक्टेयर के स्थान पर 0.4868 हैक्टेयर तथा वादी सं. 3 का हिस्सा 0.9736 हैक्टेयर के स्थान पर 1.3273 हैक्टेयर दर्शा दिया गया वही खं. नं. 436 में वादी सं. 1 का हिस्सा 0.5096 हैक्टेयर के स्थान पर 0.2308 हैक्टेयर, वादी सं. 2 का हिस्सा 0.3050 हैक्टेयर के स्थान पर 0.2308 हैक्टेयर तथा वादी सं. 3 का हिस्सा 0.1085 हैक्टेयर के स्थान पर 0.6415 हैक्टेयर दर्शा दिया गया जो गलत है बाद ऑन लाईन नक्शे में जब तरमीम की गई तब वादीगण द्वारा विभाजन के समय बनाये गये नक्शे (मैट्रिक सीट) के स्थान पर वादीगण के खेत के गलत रिकॉर्ड के आधार पर गलत दर्ज रकबा /क्षेत्रफल के मुताबिक ही राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम कर दिया गया जिसे अनेक्चर 'क' में (खं. नं. 1792/429, खं. नं. 1795/436, खं. नं. 1793/429, खं. नं. 1796/436, खं. नं. 1794/429, खं. नं. 1797/436) दर्शाया गया है जो सही है तथा नजरी नक्शा में गलत है जो दुरूस्त करवाना है। वादीगण ने अपने खेत के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी नक्शा की नकल निकलवाई तो वादीगण को पता चला कि आलोच्य /

तारानगर (चूरू)

Rajendra

वादगत खेतों का नक्शा तरमीम विभाजन के समय नक्शा (मैट्रिक सीट) में दर्ज के अनुसार नही है। आलोच्य / वादगत खेतों का राजस्व रिकॉर्ड नक्शा (अक्स) में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों ने वादीगण के खेत खं. नं. 429 तादादी 1. 9473 हैक्टेयर, खं. नं. 436 तादादी 0.9231 हैक्टेयर की तरमीम विभाजन के समय नक्शा (मैट्रिक सीट) के अनुसार न कर राजस्व रिकॉर्ड–जमाबंदी में गलत दर्ज रकबा / क्षेत्रफल के अनुसार ही कर वादीगण के खेतों के नक्शे छोटे बड़े कर दिये। जो दुरुस्त करवानें के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण के खेतों का नक्शा तरमीम करते वक्त छोटा–बड़ा कर देने से वादीगण को कई तरह की परेशानियां आती है इसलिये वादीगण अपने खेत / खसरे की तरमीम शुद्ध करवाने के अधिकारी है। वादीगण की रोही ग्राम भाड़ंग तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित कृषिभूमि खं. नं. 1792/429, खं. नं. 1795/436, खं. नं. 1793/429, खं. नं. 1796/436, खं. नं. 1794/429, खं. नं. 1797/436 का राजस्व नक्शा विभाजन के समय नक्शा (मैटिक सीट) के अनुसार तरमीम नही करके राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत दर्ज रकबा / क्षेत्रफल के अनुसार ही कर वादीगण के खेतों के नक्शे छोटे बड़े कर दिये। उक्त नक्शे विभाजन के समय नक्शा (मैटिक सीट) के अनुसार न दर्शा कर अधिक छोटे बड़े दर्शाये गये है जिन्हें देखने से भी पता चलता है कि वादीगण के उपरोक्त खेतों के नक्शे विभाजन के समय नक्शा (मैट्रिक सीट) के अनुसार न होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत दर्ज रकबा / क्षेत्रफल के अनुसार ही कर वादीगण के खेतों के नक्शे छोटे बड़े कर दिये। इसलिये वादीगण द्वारा अपने खेत खं. नं. 1792/429, खं. नं. 1795/436, खं. नं. 1793/429, खं. नं. 1796/436, खं. नं. 1794/429, खं. नं. 1797/436 का रकबा राजस्व जमाबंदी में अनेक्चर 'क' के अनुसार सही कर नक्शे राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध करवाकर तरमीम करवाना आवश्यक हो गया है। अतः वादी द्वारा यह घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती नक्शा तरमीम वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो वादगत कृषिभूमि खं. नं. 1792/429, खं. नं. 1795/436, खं. नं. 1793/429, खं. नं. 1796/436, खं. नं. 1794/429, खं. नं. 1797/436 का रकबा राजस्व जमाबंदी में अनेक्चर क के अनुसार सही कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नजरी नक्शा को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त व तरमीम कर दें तो वे कई दिनों तक तो हाँ भरते रहे और आखिरकार दिनांक 13.05.2025 को साफ इंकार हो गये इसलिये उपरोक्त तारीख ही वाद कारण एवं वादाधार वादीगण को खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 हासिल है। प्रतिवादी संख्या 3 के यहां वादीगण की कृषिभूमि रहन चली आ रही है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 को व उक्त कृषिभूमि के विभाजन से पूर्व संयुक्त खातेदार होने के कारण गौणप्रतिवादी को उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादीत कृषिभूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिये अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें और घोषित किया जावें कि वादीगण की विवादीत कृषिभूमि खं. नं. 1792/429 तादादी 0.4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1795/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं. नं. 1793/429 तादादी 0.4868 हैक्टेयर, खं. नं. 1796/436 तादादी 0.2308 हैक्टेयर, खं नं. 1794/429 तादादी 0.9737 हैक्टेयर, खं. नं. 1797/436 तादादी 0.4615 हैक्टेयर वाके रोही मौजा भाडंग तहसील तारानगर जिला चरू की राजस्व जमाबंदी में खाता विभाजन के समय राजस्व कर्मचारीयों की गलती व भूल से पूराने खं. नं. 429 तादादी 1.9473 हैक्टेयर में वादी सं. 1 का हिस्सा 0.2074 हैक्टेयर के स्थान पर 0.4868 हैक्टेयर वादी सं. 2 का हिस्सा 0.4129 हैक्टेयर के स्थान पर 0.4868 हैक्टेयर तथा वादी सं. 3 का हिस्सा 0.9736 हैक्टेयर के स्थान पर 1.3273 हैक्टेयर दर्शा दिया गया वही खं. नं. 436 में वादी सं. 1 का हिस्सा 0.5096 हैक्टेयर के स्थान पर 0.2308 हैक्टेयर, वादी सं. 2 का हिस्सा 0.3050 हैक्टेयर के स्थान पर 0.2308 हैक्टेयर तथा वादी सं. 3 का हिस्सा 0.1085 हैक्टेयर के स्थान पर 0.6415 हैक्टेयर दर्शा दिया गया जो गलत है बाद ऑन लाईन नक्शे में जब तरमीम की गई तब वादीगण के खेत के गलत रिकॉर्ड के आधार पर गलत दर्ज रकबा /

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Jayendra

क्षेत्रफल के मुताबिक ही राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम कर दिया गया जो अनेक्चर 'क' व विभाजन के समय नक्शा (मैट्रिक सीट) के अनुसार सही कर नक्शा शुद्ध कर तरमीम करवाने तथा वादीगण की उपरोक्त विवादित कृषिभूमि में वादीगण के मुताबिक अनेक्चर 'क' में जो दर्शाया गया है वो सही है को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। गौणप्रतिवादी सं. 04 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र बागोरिया उपस्थित आये तथा इनके द्वारा जवाब दावा व साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादपत्र का खण्डन पेश नही होने के कारण तनकी नही बनाई गई। वकील वादी द्वारा वादी सीताराम का मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा बयान गवाह करवाये गये। वकील वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही वादी की बहस मानते हुए निर्णय करने का निवेदन किया। वकील गौण प्रतिवादी सं. 04 ने जाहिर किया कि विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं. 04 को कोई हक हिस्सा नही है और ना ही इस वाद के निर्णय से प्रतिवादी सं. 04 के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता है। अंत में वाद वादीगण स्वीकार करने पर सहमति जाहिर की। राजपैरोकार ने वादपत्र में राज्यहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा दुरूस्ती का है। दावा में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। वादीगण मुताबिक दावा वाद डिक्री करवाने का हकदार है।

—::आदेश::—

अतः वाद वादीगण तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनेक्चर 'क' अनुसार डिक्री किया जाकर विवादित कृषिभूमि रोही मौजा भाड़ंग तहसील तारानगर जिला चूरू की कृषिभूमि ख. नं. 1792/429 तादादी 0.2074 हैक्टेयर, खं. नं. 1795/436 तादादी 0.5096 हैक्टेयर, खं. नं. 1793/429 तादादी 0.4126 हैक्टेयर, खं. नं. 1796/436 तादादी 0.3050 हैक्टेयर, खं नं. 1794/429 तादादी 1.3273 हैक्टेयर, खं. नं. 1797/436 तादादी 0.1085 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। अनेक्चर 'क' एवं तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री अलग से जारी किया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

डिक्री ब मुकदमेइब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code,Appendix 'D')

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीराजेन्द्र कुमारRAS

दावा अन्तर्गत धारा 88, 131, 136 आर.टी.एक्ट.

अनुवान प्रताप आदि **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

वाद पत्र संख्या 155 वर्ष 2025

यह मुकदमा वास्ते इनफिसालकतई रूबरू हमारे हाजरी **श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता** मिनजानिब मुदई **व श्री नरेन्द्र कुमार बागोरिया अधिवक्ता एवं राजपैरोकार** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती हैं कि कृषिभूमि रोही मौजा भाड़ंग तहसील तारानगर जिला चूरू की कृषिभूमि ख. नं. 1792/429 तादादी 0.2074 हैक्टेयर, खं. नं. 1795/436 तादादी 0.5096 हैक्टेयर, खं. नं. 1793/429 तादादी 0.4126 हैक्टेयर, खं. नं. 1796/436 तादादी 0.3050 हैक्टेयर, खं नं. 1794/429 तादादी 1.3273 हैक्टेयर, खं. नं. 1797/436 तादादी 0.1085 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। अनेक्चर 'क' एवं तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट निर्णय का हिस्सा रहेगी। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

....

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीस दीसालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .16....माह .09..सन् 2025 को जारी की गई।

राजेन्द्र कुमार(RAS)
उपखण्डअधिकारी
तारानगर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		